

पत्रांक- 15/एम1-18/2018  
बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,  
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....2018

विषय:- पटना विश्वविद्यालय, पटना को बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान, प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित करने एवं अन्य विद्युतीय प्रभार मद में देयताओं के भुगतान के निमित्त रूपये 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) मात्र स्वीकृत एवं विमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत पटना विश्वविद्यालय, पटना को विद्युत प्रभार मद में रूपये 6,50,00,000/- (छः करोड़ पचास लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त राशि पटना विश्वविद्यालय, पटना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान, प्रीपेड मीटर अधिष्ठापित करने एवं अन्य विद्युतीय प्रभार मद में देयताओं के भुगतान हेतु स्वीकृत की जा रही है।

3. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2202- सामान्य शिक्षा-03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या 21-0001- पटना विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 21-2202031020001.1304 विद्युत प्रभार के अन्तर्गत होगा।

4. अवर सचिव-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से BTC-51 पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर राशि की निकासी करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि की निकासी कर पटना विश्वविद्यालय के पी0एल0 खाता सं0- PLA307 लेखाशीर्ष- 8448001100004 में जमा करने हेतु कुलसचिव को हस्तांतरित की जाएगी।

5. इस राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी।

6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि के लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिये संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाए।

7. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जाएगा।

8. यह स्वीकृत्यादेश दिनांक 26.03.2018 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्राप्त स्वीकृति तथा संचिका संख्या 15/एम1-18/2018 में दिनांक 27.03.2018 को पृष्ठ 05/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


ह0/-  
(अरशद फिरोज)  
उप सचिव

ज्ञापांक- 15/एम1-18/2018 164

पटना, दिनांक - 27/3/18

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09, वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी-05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

  
(अरशद फिरोज)  
उप सचिव  
27/3/18